

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

amentaria de la maria de la compansión d

सं. 42]

नई विल्ली, शन्तिवार, अक्तूबर 20, 2001/जारिवत 28, 1923

No. 42

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 20, 2001/ASVINA 28, 1923

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह ग्रालग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय ग्रधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्दर्गतः अन्तरः और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के ग्रावेश, उप-नियम ग्रावि सिम्मलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृष्ट मंत्रालय

नई दिल्या, 10 ग्रक्तुबुर, 2001

मुर्श्का.नि. 578:--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेट 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त मन्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रसम रायुक्तस्स, गृह मंत्रालय में ज्येड्टहिन्दी अधिकारी (समूह क') के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियनन वरने के लिए निम्मलिखिति नियम बनाते हैं, प्रधान :--

प्रसिक्षत नाम श्रीर प्राप्त्रम : (1) इन निक्षमों का संक्षिप्त नाम ग्रम्सम रायकल्स, ज्येष्ठ हिन्दी श्रधिकार्श (समूह 'क') धर्मी नियम, 2001 है।

(2) ये उन्जपत में प्रकाशन की नारीख को प्रवत्त होंगे।

पद-मंख्या, वर्गीकरण श्रीर केतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण श्रीर उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपावध श्रनुसूची के स्नुस्थ 2 में स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धित, श्रायु-सीमा, ग्रह्ताएं श्रादि : उक्त प्रक्षे पर भर्ती की पद्धित, ग्रायु-सीमा, श्रह्ताएं ग्रीर उन्हें संबंधित. श्र<u>त्य</u> कर्ति वे होंगी जो उक्त श्रनुसूची के स्तम्भ 5 <u>से स्तम</u>्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. आरंभिक गठन ं ऐसे व्यक्तिजो इन नियमों के प्रकाणन की तारीख़ में पूर्व ज्येष्ठ हिन्दी अधिकारी का पद धारण-किए हुए हैं, इन नियमों के अधिन नियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे प्रकाणन में पूर्व उनके द्वारा की गई सेवा उनकी उच्चतर श्रेणीं में प्रोन्नति के लिए उनकी अर्डना के अवधारण के लिए संगणित की जाएंगी। 12

(Peiod of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held imprediately preceding this appointment in the same or some other organisation.)

Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

[F. No. A-12018/10/98-EA] SUKUMAR, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय शुद्धिपत

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2001

सो का.नि. 583.— भारत के रोजपद भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (i) मे प्रकाशित भारत सरकार, प्रचना और प्रसारण मंद्रालय की दिनांक 10 श्रप्रैल, 2001 की श्रिधसूचना से सा.का.नि. 234 में :--

(1) नियम-1 के उप नियम
 (1) में लघु प्रीर्धिक वर्ष
 "2000" के स्थान पर ("2001" पढ़ा पाए।

(2) अनुसूची भें कॉलम-2 में "34 (2000)" स्थान पर "34 (2001)" पर्दें।

> [फा रां.ए-12018/1/94-प्रशा. 1/एफ (एस्ट्रे)] पी के. बनजी, डेस्क अधिकारो, एफ(एस)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING CORRIGENOUM

New Delhi, the 20th September, 2001

G.S.R. 583.—In the Notification of the Government of India, Ministry of Information and Broadcasting number G.S.R. 234 dated the 10th April, 2001 published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub Section (b)—

(i) in sub-rule (1) of rule 1, for the year in the Short title "2000", read "2001";

(ii) in the Schodule, in column 2, for "34 (2000)", read, "34 (2001)".

F. No. A-12018/1/94-Admn. I/F (S) P.K. BANERJEE, Desk Officer F(S)

श्रम मंत्रालय

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिवेशालय) नई दिल्ली, 8 श्रन्तुबर, 2001

सा.का.नि. 584.--केन्द्रीय सरकार शिक्ष अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय की अधिमूचना सं. सा.का.नि. 979 तारीख 21 जुलाई, 1975, 466 तारीख 6 मार्च, 1976, का : आर. सा.का.नि. 2848 तारीख 29 दिसंबर, 1983, सा.का.नि. 86 तारीख 20 जनवरी, 1987 और सा.का.नि. 764 तारीख 22 सितम्बर, 1987 को उन बातों के सिवाय श्रधिकांत करते हए जिन्हें ऐसे घधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, इससे उपाबद्व ध्रन्सूची के स्तंभ 2 में उल्लिखित अधिकारियों को केन्द्रीय शिक्ष्ता सलाहकार को, उसके कत्यों के पालन में सहायता करने के लिए अनसुची के स्तंभ 3 में दर्शित पदनाम के ग्रधिकारियों के रूप में तियुक्त करती है, ग्रर्थात् :---

प्रनुसुची

(क) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक का मुख्यालय, श्रम मंत्रालय (नई दिल्ली)

क.सं. धारित पद	नियुक्ति पर पदनाम
1 2	3
1. संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता संयुक्त सलाह- कार
2. उप निदेशक, प्रशिक्षण	केदीय शिक्षुता उप सलाहकार
3. ,सहायक निदेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता महायक सलाह- कार
4. प्रणिक्षण प्रधिकारी	केन्द्रीय शिक्षुता सहायक सलाह- फार (कनिष्ठ)

` '	क्षण महाभिदेशालय, श्रम मंत्रालय	1 2	3
हे श्रद्धीन शिक्षुता प्रशिक्षण 1. शिक्षुता प्रशिक्षण प्रादेशिक		 सहायक निदेशक, प्रशिक्षण 	केन्द्रीय णिक्षुता सहायक सलाह कार (प्रादेशिक)
1 2	3	4. प्रशिक्षण भ्रधिकारी	केन्द्रीय शिक्षुता सहायक सलाह कार (प्रावेशिक) (कनिष्ठ)
1. प्रादेशिक निदेशक	केन्द्रीय : शिक्षुता प्रादेशिक सलाह- कार	5. शिक्षुता प्रशिक्षण प्रादेशि	शक निदेशालय, कानपुर
2. उप निदेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय प्रिभुता उप सलाहकार (प्रावेशिक)	1 2	3
 सहायक निवेशक, प्रशिक्षण प्रशिक्षण ग्रधिकारी 	केन्द्रीय शिक्षुता सहायक सलाह- कार (प्रादेशिक) केन्द्रीय शिक्षुता सहायक सलाहकार	1. प्रावेशिक निदेशक	केन्द्रीय शिक्षुता प्रादेशिक सलाह कार
 प्रास्ताण श्रावनगर। शिक्षुता प्रशिक्षण प्रादेशिक 	(प्रादेशिक) (कनिष्ठ)	2. उप निदेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता उप सलाहका
1 2	3	3. सङ्घायक निवेधक, प्रशिक्षण	(प्रादेशिक) केन्द्रीय शिक्षुता सहायक सलाह कार (प्रादेशिक)
1. प्रावेशिक निवेशक	केन्द्रीय शिक्षुता प्रादेशिक सलाह- कार	4. प्रक्षिक्षण भ्रघिकारी	केन्द्रीय शिक्षुता सहायक सलाहका (प्रादेशिक) (कनिष्ठ)
 उप निदेशक, प्रशिक्षण सहायक निदेशक, प्रशिक्षण 	केन्द्रीय णिक्षुता उप सलाह- कार (प्रादेशिक) केन्द्रीय शिक्षुता सहायक सलाह-	 शिक्षुता प्रशिक्षण प्रावेशि 	
 प्रशिक्षण ग्रधिकारी 	कार (प्रावेशिक) केन्द्रीय शिक्षुता सहायक सलाहकार	1 2	3
o. शिक्षुता प्रशिक्षण प्रादेशि	(प्रादेशिक) (कनिष्ठ) क निवेशालय, फरीवाबाद	1 प्रादेशिक निवेशक	केन्द्रीय शिक्षुना प्रादेशिक सला कार
1 2	3	2. उप निवेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय णिक्षुता उप सलाहक (प्रादेशिक)
1. प्रादेशिक निदेशक	केन्द्रीय शिक्षुता प्रादेशिक सलाह- कार	 सहायक निदेशक, प्रशिक्षण 	किन्द्रीय शिक्षुता सहायक सला कार (प्रावेशिक)
2. उप निवेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता उप सलाहकार (प्रादेशिक)	4. प्रशिक्षण ग्रधिकारी	केन्द्रीय शिक्षुता सहायक सला कार (प्रादेशिक) (कनिष्ट
 सहायक निदेशक, प्रशिक्षण 	केन्द्रीय शिक्षुता सहायक सलाह- कार (प्रादेशिक)		
4. प्रशिक्षण श्रक्षिकारी	केन्द्रीय शिक्षुता सहायक सलाह- कार (प्रादेशिक) (कनिष्ठ)	, ,	स्स मंत्रालय के माध्यभिक गिर विभाग नई दिल्ली।
4. क्षिक्षुता प्रक्षिक्षण प्रादेशिव	त निदेशालय, हैदराबाद 	1 2	3
1 2	3	1. शिक्षुता श्रपर सलाहकार	केन्द्रीय शिक्षुता ग्रपर सलाहक
 प्रादेशिक निदेशक उप निदेशक, प्रशिक्षण 	केन्द्रीय शिक्षुता प्रादेशिक सलाह- कार केन्द्रीय शिक्षुता उप सलाहकार (प्रादेशिक)	• •	स मंत्रालय के माध्यमिक शिक्ष विभाग के प्रधीन शिक्षुता प्रशिक्ष

I. शिक्षुता प्रशिक्षण नोर्ड,	कोलकाता ।		
1 2	3		
1. निदेशक	केन्द्री य शिक्षुता प्रादेशिक सलाह- कार		
2. उप निवेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता उप सलाहकार (प्रादेशिक)		
II. शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड	, चेन्नई		
1 2	3		
1. निदेशक	केन्द्रीय शिक्षुता प्रावेशिक सलाह- कार		
2. उप निदेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता उप सलाहकार (प्रादेशिक)		
III. शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्च, कानपुर			
1 2	3		
1. निदेशक	केन्द्रीय शिक्षुता प्रावेशिक सलाह- कार		
2. उप निवेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता उप सलाहकार (प्रादेशिक)		
IV. शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड,	मुम्बर्६		
1 2	3		
1. निदेशक	केन्द्रीय शिक्षुता प्रादेशिक सलाह- कार		
2. उप निदेशक, प्रशिक्षण	केन्द्रीय शिक्षुता उप सलाहकार (प्रावेशिक)		
[सं .	बी .जी.ई.टी.~8(1)/97-एपी]		
	एन . लंका, उप स चिव		

MINISTRY OF LABOUR

(Directorate General of Employment and Training) New Delhi, the 8th October, 2001

G.S.R. 584.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 27 of the Apperentices Act, 1961 (52 of 1961) and in supersession of the notifications of the Government of India, in the Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour No. G.S.R. 979 dated 21st July, 1975, G.S.R. 466 dated the 6th March, 1976, S.O. 2848 dated the 29th December, 1983, G.S.R. 86 dated the 20th January, 1987 and G.S.R. 764 dated the 22nd September, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government, hereby appoints the officers, mentioned in column 2 of the schedule annexed hereto, as officers with designations shown in column 3 thereof to assist the Central Apprenticeship Adviser in the peroformance of his functions namely:

SCHEDULE

(A) Headquarters of the Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour (New Delhi).

Serial Numb	Post held per	Appointed as		
1	2	3		
	nt Director of	Joint Central Apprenticeship Adviser.		
	puty Director of	Deputy Central Apprenticeship Adviser		
	sistant Director of aining	Assistant Central Apprenticeship Adviser		
4. Training Officer		Assistant Central Appren ticeship Adviser (Junior)		

- (B) Regional Directorate of Apprenticeship Training under Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour.
- I. Regional Directorate of Apprenticeship Training,
 Kolkata.

	1 2	3			
1.	Regional Director	Regional Central Apprenticeship Adviser			
2.	Deputy Director of Training	Deputy Central Appren ticeship Adviser (Regional)			
3.	Assistant Director of Training	Assistant Central Apprenticeship Adviser (Regional).			
4. Training Officer		Assistant Central Apprenticeship Adviser (Regional) (Junior)			

II. Regional Directorate of Apprenticeship Training, Chennai.

Regional Director Regional Central Apprenticeship Adviser

 Deputy Director of Training Deputy Central Apprenticeship Advisor

(Regional)

1	2	3	1	2	3
3.	Assistant Director of Training	Assistant Central Apprenticeship Adviser (Regional)		Assistant Director of Training	Assistant Central Apprenticeship Adviser (Regional)
4.	Training Officer	Assistant Central Apprenticeship Adviser (Regional) (Junior)	4.	Training Officer	Assistant Central Apprenticeship Adviser (Regional) (Junior)
Ш	Regional Directorate Faridabad	of Apprenticeship Training.	VI.	Regional Directora	te of Apprenticeship Train-
1	2	3		ing, Mumbai.	
1.	Regional Director	Regional Central Apprenticeship Adviser	1	2	3
2,	Deputy Director of Training	Deputy Central Appren- ticeship Adviser (Regional)		Regional Director	Regional Central Appren- ticeship Adviser
3.	Assistant Director of Training	Assistant Central Apprenticeship Adviser (Regional)	2.	Deputy Director of Training	Deputy Central Appren- ticoship Advisor (Regional)
4.	Training Officer	Assistant Central Apprenticeship Adviser (Regional) (Junior)	3	Assistant Director of Training	Assistant Central Appren- ticeship Adviser (Regional)
IV.	Regional Directorate	of Apprenticeship Training,	4.	Training Officer	Assistant Central Appren- ticeship Adviser (Regional) (Junior)
1	2	3			
1.	Regional Director	Regional Central Appren- ticeship Adviser	(C) Department of Secondary Education and Hig Education in the Ministry of Human Resou Development, New Delhi.		finistry of Human Resource
2.	Deputy Director of Training	Deputy Central Appren- ticeship Adviser (Regional)	1	2	3
3.	Assistant Director of Training	Assistant Central Appren- ticeship Adviser (Regional)	1.	Additional Apprenticeship Adviser	Additional Central Apprenticeship Adviser
4.	Training Officer	Assistant Central Apprenticeship Adviser (Regional) (Junior)	(D) Boards of Apprenticeship Training understand the Department of Secondary Education Higher Education in the Ministry of Hungsource Development		Secondary Education and in the Ministry of Humar
V	. Regional Directora Training, Kanpur	te of Apprenticeship	1	•	eship Training, Kolkata.
1	2	3	1		3
1.	Regional Director	Regional Central Appren- ticeship Adviser	1.	Director	Regional Central Appren ticeship Adviser
2.	Deputy Director of Training	Deputy Central Apprenticeship Adviser (Regional)	2,	Deputy Director of Training	Deputy Central Apprenticeship Adviser (Regional)